सं.एच–12012 / 1 / 2017–स्था.7 1355

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली – 110066.

दिनांकः 29th दिसंम्बर, 2017.

सेवा में,

केन्द्रीय जल आयोग के अधिनस्थ कार्यालय के
सभी मुख्य अभियंता।

विषयः मूल नियम 56(J) के तहत शासकीय अधिकारियों की कार्य निष्पादन की समीक्ष हेतु।

उपरोक्त विषय पर संगठन एवं पद्धति अनुभाग के आई.डी. सं.3 / 9 / 2017–सं.एवं प / 2341–51 दिनांक 20.12.2017(प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। संगठन एवं पद्धति अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग ने अपने उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुरोध किया है कि उनके दिनांक 02.11.2017 के आदेश के परिपेक्ष में 56(J) के दायरे में आने वाले वर्ग (B) के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने हेतु 14 सूत्री प्रपत्र में सभी अधिकारियों का पूरा विवरण भरकर आंतरिक जांच समिति(Internal Screening Committee) के समक्ष 15 जनवरी, 2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए ताकि आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट समीक्षा समिति (Review Committee) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.11.2017 के द्वारा भी अधिनस्थ कार्यालयों के सभी मुख्य अभियंताओं से अनुरोध किया गया था कि 56(J) के दायरे में आने वाले वर्ग (B) के अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा कर इसकी सूचना प्रत्येक माह की **5 तारीख** तक इस आयोग को प्रेषित किया जाए ताकि संबंधित सूचना आगे की कार्यवाही हेतु संगठन एवं पद्धति अनुभाग को प्रेषित किया जा सके। इस संबंध में अधिनस्थ कार्यालयों के सभी मुख्य अभियंताओं से संबंधित सूचना अभी तक इस आयोग का प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर इस आयोग को प्रेषित किया जाए ताकि संबंधीत सूचना संगठन एवं पद्धति अनुभाग को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

Rs

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव
☎:011.29583317.

प्रतिः

अवर सचिव, संगठन एवं पद्धति अनुभाग, के0ज0 आयोग, नई दिल्ली।

Sl. No. 10 (R)

केन्द्रीय जल आयोग
संगठन एंव पद्वति अनुभाग

कमरा सं0 326, सेवा भवन,
रा0 कृ0 पुरम, नई दिल्ली.–110066

विषयः– मूल नियम 56(J) के तहत शासकीय अधिकारियों की कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु ।

उपरोक्त विषय के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय जल आयोग के आदेश सं 3/8/2016– सं एंव पं/ पी–1/ 2465–83 दिनांक 02.11.2017 के परिपेक्ष्य में FR 56 (J) के दायरे में आने वाले वर्ग (B) के अधिकारियों के कार्य निष्पादन (परफारमेंस) की समीक्षा करने हेतु 14 सूत्री प्रपत्र में सभी अधिकरियों का पूरा विवरण भरकर आंतरिक जांच समिति (Internal Screening Committee) के समक्ष 15 जनवरी 2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ताकि आंतरिक जांच समिति की रिर्पोट समीक्षा समिति "Review Committee" को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके। मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के दृष्टव्य, इस विषय में "समयबद्ध" कार्यवाही अपेक्षित है।

(संजय सिंह चौहान)
अवर सचिव,
संगठन एंव पद्वति

अवर सचिव, स्था0 पांच, सात, दस , ग्यारह व तेरह अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग,
के.ज.आ. आई.डी. सं0 3/9/2017–सं.एंव प/2350-51/ दिनांक 20.12.2017

21/12/17

21/12

Diary No. 416
ESH-VII Dt. 22/12/17

Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

S.No.	Name of the officer to be reviewed (S/Sh./Smt./Ms)	Designation	Date of Birth	Age as on ---------------- -- (in years)	Date since holding the post in the current designation	Leave availed during the past five years (from the service book) as on 31-12-2016	State of health and whether it has a bearing on discharge of duties and if yes. Please elaborate	Whether services of are considered useful to the Government+	Whether the officers is considered competent and effective and fit to continue to hold post occupied	Is there any reason to doubt the integrity viz. complaints of suspicious transaction in property, corruption, informal feedback etc. Please specify	Penalties if any imposed on the officers during the entier career	APAR grading in the entire career. If there is any adverse entries please specify	Overall conduct of the officers
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14